

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2197

10 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष योजना

2197. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश में लागू की जा रही आयुष योजनाओं के क्षेत्र और उनके नाम क्या हैं;
- (ख) क्या जनजातीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आयुष की कोई विशिष्ट योजना प्रस्तावित है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खरगौन बड़वानी संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित आयुष योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आयुष से संबंधित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी प्रदान कर रही है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल)

(क) से (ग): आयुष मंत्रालय देश में आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार जनजातीय क्षेत्र सहित राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः राज्यों को एनएएम के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्यकलापों को चिह्नित करने और एनएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी आवश्यकतानुसार एसएएपी में शामिल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जनजातीय उप-योजना के तहत, अभी तक 11.397 करोड़ रुपये के साथ 220.53 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार एनएएम के विभिन्न कार्यकलापों के लिए जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने एनएएम के तहत खरगौन जिले के मंडलेश्वर में 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना के लिए 2018-19 के दौरान 199.75 लाख रुपये अनुमोदित किया है।

(घ): आयुष मंत्रालय ने सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल/डे कैयर सेंटर की स्थापना नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम विकसित की है जिसके अंतर्गत पूरे भारत में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 अथवा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 से मान्यता प्राप्त पद्धतियों के विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल/डे कैयर सेंटर की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को ब्याज में सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
